न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/10164/2004/जयपुर

श्योजीराम पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी श्रीरामपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

1– मोहन सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत
2– भैरू पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर
3– भूरा पुत्र भीवाराम जाति गुर्जर
4– कानाराम पुत्र भीवाराम जाति गुर्जर
5– हरजी पुत्र भीवाराम जाति गुर्जर
6– गोपाल पुत्र भीवाराम गुर्जर
7– गलकू बेवा भीवाराम गुर्जर
8– कमला पुत्री भीवाराम गुर्जर
9– नाथी पुत्री भीवाराम जाति गुर्जर
10– मोहनी पुत्री भीवाराम जाति गुर्जर
11– भूरी पुत्री अर्जुन जाति गुर्जर
12– श्रीमती नन्दू पत्नि अर्जुन गुर्जर
13– रामला पुत्र सोदान गुर्जर
समस्त निवासीयान मौरूदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री रामनिवास जाट सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित

श्री हगामीलाल अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 14.09.2020

1. यह अपील राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–01–2004 के विरूद्ध

राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 10 के पूर्वज भीवा पुत्र श्योदान ने वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 5 के पिता अर्जुन, प्रत्यर्थी संख्या–7 रामला, प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पूर्वज श्योनारायण तथा प्रत्यर्थी संख्या–1 एवं अपीलार्थी के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के न्यायालय में वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत् एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत् प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश होने पर दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई। बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 31–03–98 से वादी का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–01–2004 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. दौराने अपील मण्डल के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 3 लगायत 10 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1, 2 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर कथन किया कि प्रत्यर्थीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है और प्रत्यर्थीगण उनके वारिसान हैं तथा प्रत्यर्थीगण की माता भी फोत हो चुकी है जिनका नाम रिकार्ड से तर्क किया जावे। प्रत्यर्थीगण अपने पिता द्वारा प्रस्तुत वाद को विड्रो करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी,

सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–98 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–01–2004 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगणा द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थीगण वादीगण का वाद खारिज करने के आदेश प्रदान किये जावें। अपने कथन के समर्थन में आर बी जे 2011 (18) पेज 350 भैरूसिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की नजीर पेश की। प्रत्यर्थीगण के कथनों का अभिभाषक अपीलार्थी ने खण्डन नहीं किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तो हम पाते हैं कि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व 2 जाप्ता दीवानी में जो कथन किये गये हैं उसके बाबत कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर बी जे 2011 (18) पेज 350 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :–

> RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955 - Section 88 - Compromise took place between the parties and respondents prayed to withdraw the suit - Applications allowed and permitted to withdraw the original suit
>
> 9. From the material placed on recod, it appears that the aforesaid plaintiff filed the suit seeking declaration of khatedari rights in their faour. The suit was dismissed by the learned trial Court on 3.1.1987. The first appeal preferred by the plaintiffs was dismissed by Revenue Appellate Authority on 30.5.1991. However, the Board of Revenue allowed the second appeal preferred by the plaintiffs and decreed the suit as prayed. From perusal of different applications filed by the plaintiffs and/ or their legal representatives and the different deeds of compromise annexed thereto, it appears that the contesting parties have settled their dispute concerning this litigation and it is just and proper to allow the applications referred thereinabove with consequential orders.

10. Accordingly, the application (IA Nos. 5409/2009, 13086/2009, 16242/2009 and 16208/2010) are allowed; the plaintiffs/legal representatives of the plaintiffs (respondent No. 4, 6/1 to 6/3 7, 8 and 9) are permitted to withdraw the original suit (Revenue Suit No. 7/1983) and the suit is dismissed as withdrawn As a necessary corollary, the impugned judgment and decree dated 10.12.1997 as passed by the Boared of Revenue are rendered redudant and stand annulled."

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–01–2004 व उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–98 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले राजीनामे को तस्दीक कर पक्षकारान को सुनकर विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

8. उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के समक्ष दिनांक ..... को उपस्थित होने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य